कृषि उत्पन्न आजार समिती में कृषि विपणन की नई पर्यायी व्यवस्था

डॉ.रमा एस. चौहान
वाणिज्य विभाग
भवभूति महाविद्यालय, आमगांव
जि.गोंदिया (महाराष्ट्र)
पिन कोड — ४४१९०२
मो.नं. — ९४०३६१६९२९
ई—मेल — drramachauhan@gmail.com

प्रस्तावना :

भारत एक कृषि प्रधान देश है । औद्योगीकरण एवं संगणीकरण की ओर अग्रसर होते हुए भी कृषि का हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है । भारत की जनसंख्या का ७० प्रतिशत भाग का निर्वाह प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर है । भारतीय किसान अशिक्षित व गरीब होने के कारण कृषि में आधुनिक सुधार नहीं कर पाता है । इसलिए कृषि उत्पादन मॉग के अणुपात नहीं बढ़ पाता है और किसान की आर्थिक स्थिती पहले जैसी ही रहती है । यदी देश को उन्नतशील करना है तो पहले किसानों की आर्थिक स्थिती को सुधारणा अत्यंत आवश्क है । भरतीय किसान पहले से ही अज्ञानी, अशिक्षित व गरीब रहा है । वह क्रताओं, दलालों, मध्यस्थों के हाथो लुटता जा रहा है । विनियोंमित मंडियॉ और कृषि उपजों की विपणन व्यवस्था न होने के कारण क्रेताओं द्वारा मनमाने ढॅग से न्युनतम किंमतमें कृषि उपज खरीदी जाती थी । किसान की आर्थिक स्थिती केवल कृषि उत्पादन के परिणाम पर ही निर्भर नही है अपितु वह कृषि उत्पादन के बाजार में मिलने वाले मूल्यपर भी निर्भर है । उत्पादन के विकास के साथ—साथ कृषि उपज की बिक्रि की उचित व्यवस्था होना भी महत्वपूर्ण है ।

महाराष्ट्र राज्य में कृषि उत्पादन क्षेत्र की ओर बड़ा ध्यान दिया गया है । उत्पादीत कृषि माल की अच्छि किंमत मिलने के लिए वह संभावित हानि को टालने के लिए कृषि माल की विपणन रचना में अदलाव करना आवश्यक है । किसान कृषि माल के लिए नये पर्याय खोजते है । जिसप्रकार उत्कृष्ठ कृषि माल उत्पादीत करना जितना आवश्यक है उसीप्रकार उसका ज्रूादा अच्छा नियोजन करके कृषि माल की उचित दाम पर बिक्रि करना भी आवश्यक है । वह आज के किसानों को ज्ञात हो गया है । किसानों की आवश्यकता को समझकर कृषि उपज के विपणन के लिए जब तक कृषि उत्पन्न बाजार समिती विविध व्यवस्था उपलब्ध नहीं कर देती तब तक कृषि उत्पन्न बाजार समिती के विकास की सीमा सिमीत रह सकती है ।

बाजार समिती के क्षेत्र में श्रेणीकरण एवं संवेष्ठन उपलब्ध करना :

कृषि उत्पन्न बाजार समिती में नाममात्र दर से कार्यक्षेत्र के किसानों के लिए बाजार क्षेत्र में धान्य श्रेणीकरण एवं संवेष्ठन सुविधा उपलब्ध कर देना व किसानों को कृषि उपज को महत्तम किंमत मिले तथा ग्रहाको को अच्छाकृषि उपज मिलें । सुखसुविधा दिलाने के लिए कृषि उतपन्न बाजार समिती को ज्यादा उत्पन्न मिले उसी के आधार पर सुख सुविधा उपलब्ध कराके ज्यादा से ज्यादा प्रमाण में कृषि माल बिक्रि को आये ।

बाजार समिती के कार्यक्षेत्र में कृषि उपज गिरवी ऋण योजना चालू करना :

जिस समय कृषि उपज तैयार होती है तब बाजार में आवक बढ़ती है । उसी समय कृषि माल की दर में कमी होती है । कृषि उपज गिरवी योजना चालू करके किसानों को रूपये पैसे की

आवश्यकता की पूर्ती कि जाती है । कुछ समय के अंतराल में भाव बढ़ने पर बाजार भाव का लाभ किसान लेते है । यह योजना कृषि पणन मंडल व बॅक के जरिये लागू है ।

कृषि उपज विपणन के लिए आवश्यक सुख सुविधा उपलब्ध कर देना :

कृषि उत्पन्न बाजार समिती अपने कार्यक्षेत्र में किसानों के लिए कृषि उपज की खरेदी बिक्रि के लिए आवश्यक सुख सुविधायें लिए कोई सुविधाएँ उपलब्ध नही होगी ।तो किसान अपना कृषि माल बिक्रि के लिए बाजार समिती में लेकर नहीं आयेगा ।

संगणक प्रणाली द्वारा बाजार भाव की जानकारी :

कृषि उत्पन्न बाजार समिती के कॅम्प्युटर प्रणाली का उपयोग किया गया है । इसके आधर पर कृषि उत्पन्न बाजार समिती राज्य में व राज्य के बाहर बाजार समिती में आने वाले कृषि माल की किंमत आवक गुणवत्ता के बारें में जानकारी उपलब्ध करके किसानों को अपना कृषि माल की बिक्रि किस बाजार में करना है । इसका निर्णय करते बनेगा व ज्यादा से ज्यादा किंमत में फायदा होगा । उसी तरह सदर किंमत के बारे में अभ्यास करके तुलनात्मक तक्ता देखकर किसान कौन से महिने में कौनसा कृषि माल की किंमत ज्यादा प्राप्त होगी इसकी भी जानकारी प्राप्त होगी व अपनी फसल का नियोजन करने में सफल होंगे ।

मोबाईल एस.एम.एस. सेवा :

संगणक प्रणाली के माध्यम से कृषि उत्पन्न बाजार समिती किसानों को मोबाईल पर उनके और अन्य बाजार समिती के कृषि माल, बाजार भाव शासकीय भाव जानकारी हवामान के संबंध में जानकारी दे सकते है । इन सब जानकारी के मिलने में किसानों को कृष्सि उत्पन्न बाजार समिती के प्रति विश्वास निर्माण होगा ।

विशेष वस्तु बाजार की स्थापना :

कृषि उत्पन्न बाजार समिती अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले कृषि माल के लिए स्वतंत्र विशेष वस्तु बाजार सुरू कर सकती है । सदर विशेष वस्तु बाजार में एकाध कृषि माल की खरेदी—बिक्रि के लिए सभी प्रकार की सुविधा एक ही जगह पर उपलब्ध होती है विशेष बाजार दर्जे को राज्य शासन, केंद्र शासन इनकी अर्थसहायता व अनुदान का लाभ मिल सकता है ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना :

कृषि उत्पन्न बाजार समिती अपने कार्यक्षेत्र में किसानों के लिए कृषि माल को काटने से पहले व काटने के बाद तंत्रज्ञान इस विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करके कृषि माल के उत्पादन बढ़ोत्तरी पर प्रशिक्षण व मार्गदर्शन करना चाहिए । उसी के साथ सदर कृषि विपणन के लिए राज्य व राज्य के बाहर निर्यात करने के बारे में भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे किसान बाजार समिती की ओर आकर्षित हो सके ।

संगठित बाजार पेठ :

आज ग्राहको की मानसिकता बदल गई है । इसे चाहिए कृषि माल की किस्म, आकार व स्वाद इसके लिए उसके लिए उचित मॉग रहती है । ग्राहक आरोग्य की दृष्टि से जागृत हो गया है । अच्छि किस्म का कृषि माल वह किसी भी किंमत में खरीदने को तैयार रहता है । इन बातों के लिए तंत्रज्ञान का बड़े प्रमाण में उपयोग करना पड़ता है । जमीन फसल, फसल का पोषण, मानसून में होने वाला बदलाव इनका अभ्यास करना पड़ता है । आवश्यकतानुसार नियंत्रित वातावरण में उत्पादन करना पड़ता है । यदी कंपनी से करार किया है तो करार के अनुसार वर्षभर उत्पादन करने के लिए विविध पद्धतियों का उपयोग किया जाता है । इसके लिए संगठन को बढ़ावा देना आवश्यक होता है ।

आजका अशिक्षित व असंगठीत कृषक उसकी गरीबी व आर्थिक परिस्थिती सुधारणे के लिए कृषि उत्पन्न बाजार समितीयॉ वर्तमान में कार्य कर रही है । उनको अने कप्रकारकी विपणन सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए वह प्रयत्नशील है । इन सुवधाओं का उपयोग किसान सि प्रकार करता है उसी पर ही उसका विकास निर्भर रहेगा । पहले साहुकार, गावों के दुकानदार, कस्बे के छोटे व्यापारी इनके द्वारा कृषि उपज की गैर खरेदी व किसानों से सस्ते भाव में माल खरदना और उनको फॅसाना।

वस्तु विनिमय अवस्था तथा उसके पश्चात भी दिर्घावधी तक कृषि विपणन का महत्व लगभग नही के बराबर था । मुद्रा के विकास व विशेषीकरण के युग के साथ किसानों को अपनी खाद्यान्न संबंधी आवश्यकता के अतिरिक्त अन्य आवश्यकताओं की पूर्ती के लिए मुद्रा की आवश्यकता थी । इसलिए किसान को अपनी कृषि उत्पादन आधिक्य उपज को बेचना पड़ता है । इसके साथ ही किसान अब केवल खाद्यान्न ही उत्पादन नही करते अधिक व्यापारीक फसले जैसे कपास, गन्ना, तिलहन आदि का उत्पादन करते है । इस फसलों का किसानों को विक्रय ही करना पड़ता है । कृषि उद्योग में बढ़ते हुए वाणिज्यिकरण के साथ कृषि विपणन का न केवल महत्व ही बढ़ा है बल्कि उपजों के विक्रय की समस्या जटील हो गई है । अब विपणन के सम्पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता है।

वर्तमान युग में कृषि केवल जीवन ज्ञापन का एक साधन मात्र ही नही रह गयी है । बल्कि औद्योगीक विकास का एक माध्यम तथा किसानों की समृद्धि का एक आधार बन गई है । इससे कृषि विपणन का महत्व भी बहुत बढ़ गया है उचित कृषि विपणन से एक ओर तो उचित मूल्य के प्रोत्साहन में किसान उत्पादन में वृद्धि कर विपणन योग्य आधिक्य के प्राप्ती का प्रयास करेगा ।

उपसंहार :

कृषि विपणन के लिए कृषि उत्पन्न बाजार समिती में किसानों के माल को सुरक्षित रखने के लिए गोदाम का होना आवश्यक है । बाजार समाचारों का प्रसारण व्यवस्थित व व्यापक रूप में होने के लिए आधुनिक प्रकार के साधनों का उपयोग करना चाहिए । संगठन प्रणाली के माध्यम से बाजार समिती द्वारा किसानों को मोबाईल पर बाजार समितीयों के कृषि माल भाव, शासकिय भाव की जानकारी व विकास संबंधित जानकारी प्राप्त हो सकती है । बाजार समिती द्वारा किसानों को अपनी उपज बढ़ाने व विपणन से संबंधित तंत्रज्ञान प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए ।

संदर्भ ग्रथ :

- डॉ.वी.सी. सिन्हा, भारतीय अर्थव्यवस्था विकास सगठन, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद — १९७८
- डॉ. योगेंद्र प्रसाद वर्मा, व्यवसाय संगठन, प्रबंध व प्रशासन, एस. चंद्र एंड कं. प्रकाशन, रामनगर, नई दिल्ली — १९९९
- ॲड. अभय सेलकर, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्रि अधिनियम, नाशिक हाऊस, प्रकाशन, औरंगाबाद — २०१०
- डॉ.आर.एल. मित्तल, विपणन प्रबन्ध, राजीव प्रकाशन, मेरठ — २०००
- डॉ.जे.के. पुरोहित, वाणिज्य, साहित्य भवन प्रकाशन, आगरा — २०००